धूमधाम से मनाया वार्षिकोत्सव, रंगारंग कार्यक्रम

एलकेजी से लेकर 10वीं तक के बच्चों ने किया पार्टिसिपेट

agra@inext.co.in

AGRA (7 Dec.) : सिकंदरा स्थित सेंट फ्रांसिस कान्वेंट स्कूल में गुरुवार को वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हुआ. कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों द्वारा शिक्षा और सांस्कृतिक समागम के साथ जीवन रंगों की विभिन्न भावनाओं के पहलुओं का मंचन किया गया. कार्यक्रम का शुभारंभ मोस्ट रेवरेंट आर्च बिशप राफी मंजली स्कूल की मैनेजर सिस्टर आइवी, प्रधानाचार्य सिस्टर प्रिंसी ने किया. एलकेजी से लेकर कक्षा 10 तक के छात्र एवं छात्राओं के द्वारा सामूहिक प्रस्तुति दी गई. कार्यक्रम का समापन ग्रैंड फिनाले और राष्ट्रगान के साथ हुआ.

कार्यक्रम का शुभारंभ करते आर्चबिशप.

यूनिवर्सिटी में सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग

AGRA (7 Dec.) : डॉ. भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के गृह विज्ञान संस्थान एवं शारीरिक शिक्षा विभाग में गुरुवार को छात्राओं को सेल्फ डिफेंस का प्रशिक्षण दिया गया. डॉ. किरण कश्यप ने छात्रों को बेड टच और इस तरह के मामले में कार्रवाई की जानकारी दी. कुलपति प्रो. आशु रानी, प्रो. अचला आदि मौजूद रहे.

आईईटी में खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ

AGRA (7 Dec.) : डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी आईईटी में फिट इंडिया के तहत गुरुवार को स्पोर्ट्स महोत्सव का शुभारंभ कुलपति प्रो. आशु रानी ने किया. पहले दिन इंजीनियरिंग छात्रों ने बैडमिंटन, चेस, लंबी कूंद सहित अन्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया. प्रो. मनु प्रताप सिंह ने बताया कि विजेताओं को समारोह में सम्मानित किया जाएगा.

प्रतियोगिता का शुभारंभ करते अतिथि.

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;
वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**'जीओआई'**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण)** विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेज़ी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेज़ी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगू	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैंः

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार हैः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैंः

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुएः

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. **कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न**

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		बाद में	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023

निरंतर

के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. **वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा**

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. **एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि**

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाइस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाइस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. **डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः**

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन)ः

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफ़ॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी-153-ए, पहली मंजिल] ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर'** अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. **भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः**

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेज़ः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर"** लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज़ जमा करेंः

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।

हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. **अनुपालन अधिकारी**

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490**

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals **कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड** **डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत** **संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209** **ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com** **सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435** **वैधता अवधिः स्थायी** **कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508**	Skyline Financial Services Pvt. Ltd. Towards Excellence **स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97 ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241 वैधता अवधिः स्थायी कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

सीएम ऑफिस के आदेश पर मोटर्स पार्टस शॉप पर रेड

15 लाख की कर चोरी पकड़ी, जीएसटी ने की कार्रवाई

prayagraj@inext.co.in

NAINI(7 Dec): रीवा रोड पर मोटर पार्टस की एक दुकान पर गुरुवार दोपहर एसजीएसटी टीम ने छापा मारा. करीब 15 लाख की कर चोरी पकड़ी. हालांकि, अभी जांच चल रही है और यह कर चोरी अधिक भी हो सकती है. कार्रवाई के दौरान दो नंबर के कागजात मिले, जिसे सीज कर दिया गया है. यह कार्रवाई मुख्यमंत्री से हुई शिकायत के बाद की गई.

मुख्यमंत्री को किसी ने शिकायत पत्र दिया था. कहा गया था कि रीवा रोड पर स्थित एक मोटर पार्टस की दुकान पर दो नंबर के कागजात के माध्यम से सामान बेचा जा रहा है. लाखों की कर चोरी हो रही है. मुख्यमंत्री कार्यालय से जांच के आदेश दिए गए. गुरुवार दोपहर एसजीएसटी के उपायुक्त संजीव कुमार के नेतृत्व में सहायक आयुक्त राजेंद्र सिंह यादव, पीटीओ राजेश सिंह आदि ने दुकान पर छापा मारा. कागजातों की जांच की गई तो पता चला कि यह दो नंबर के थे. स्टाक भी अधिक था. पूछताछ में पता चला कि मोटर पार्टस के सामान दिल्ली से लाया जा रहा था. दो नंबर के कागज पर यह सामान कैसे यहां तक पहुंच रहा था, इस बारे में भी अधिकारियों ने पूछताछ की. सभी कागजातों को सीज कर दिया. एसजीएसटी के अधिकारियों का कहना है कि अभी तक करीब 15 लाख की कर चोरी पकड़े जाने का अनुमान है, लेकिन कागजातों की जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि कितने की कर चोरी की गई है. इसके अलावा यह भी पता लगाने की कोशिश हो रही है कि नंबर दो का बिल कहां से कारोबारी को मिल रहा था.

किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास

PRAYAGRAJ: जिला न्यायालय ने किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपित नवाबगंज के अलादापुर के अमरबाबू जायसवाल को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है. यह फैसला पाक्सो अधिनियम के विशेष न्यायाधीश रविकांत ने पीड़िता के अधिवक्ता अभय कुमार द्विवेदी, विशेष लोक अभियोजक मनोज त्रिपाठी, विनय त्रिपाठी और आरोपित के अधिवक्ता को सुनकर पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद सुनाया. अभियोजन के अनुसार, घटना पांच जून 2021 की है. पीड़िता को आरोपित बहला-फुसलाकर भगा ले गया, फिर उसके साथ दुष्कर्म किया. पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लड़की को बरामद किया था. पीड़िता ने न्यायालय में बयान दिया कि आरोपित अमरबाबू मुझे नोएडा ले जाकर दुष्कर्म करता था. मना करने पर मारने की धमकी देता था. इस दौरान मेरे पेट में गर्भ भी था जो बाद में नष्ट हो गया.

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490; वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**'जीओआई'**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण)** विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेजी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेजी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगू	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैंः

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार हैः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैंः

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुएः

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. **कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न**

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		बाद में	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023

निरंतर

के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. **वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा**

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. **एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि**

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. **डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः**

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन):

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफ़ॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतः डी-153-ए, पहली मंजिल| ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर'** अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. **भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः**

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेज़ः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर"** लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज़ जमा करेंः

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।

हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. **अनुपालन अधिकारी**

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490**

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals **कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड** **डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत** **संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209** **ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com** **सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435** **वैधता अवधिः स्थायी** **कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508**	Skyline Financial Services Pvt. Ltd. Towards Excellence **स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97 ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241 वैधता अवधिः स्थायी कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

फंदे से लटका मिला महिला का शव, हत्या का आरोप

MEERGANJ (7 Dec): थाना क्षेत्र के एक गांव में महिला का शव फंदे से लटका हुआ मिला. घटना की जानकारी पर उसके मायके वालों ने पुलिस को सूचना देकर बुला लिया. पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव का पंचायतनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने उसकी मां की तहरीर पर पति सहित चार के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर पति और ससुर को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है.

यह है आरोप

मीरगंज थाना क्षेत्र के गांव कपूरपुर की रहने वाली बीनू देवी पत्नी सत्यवीर ने बताया कि उनकी बेटी रीगल और गांव का ही रहने वाला विकास राठौर पुत्र गजेंद्र सिंह एक-दूसरे को पसंद करते थे. इस को लेकर दोनों परिवारों के लोगों ने 24 नवंबर 2020 को दोनों का विवाह करा दिया था. कुछ समय बाद ही दोनों में विवाद होने लगा. आरोप है कि पति विकास राठौर, देवर प्रद्युम्न राठौर, सास माया देवी और ससुर गजेंद्र सिंह उनकी बेटी को पांच लाख रुपए और बाइक के लिए प्रताड़ित करते थे. इस को लेकर उसके साथ मारपीट की जाती थी. वेडनेसडे को बेटी ने फोन कर मां को इस बावत जानकारी दी थी, जिस पर मां माया देवी ने घर आकर ससुरालियों से बातचीत करने को कहा था. आरोप है कि इसी को लेकर सुबह उनकी बेटी की आरोपियों ने हत्या कर दी, जिसके बाद वह शव को ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे थे. अज्ञात की सूचना पर वह बेटी की ससुराल पहुंचीं तो उसका शव साड़ी के फंदे से सहारे लटका हुआ था.

हिरासत में पिता-पुत्र

मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने मृतका के पति विकास और ससुर को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरु कर दी है. शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था. इसी कारण कमरे में जाकर महिला ने सांड़ी के फंदे से लटकर सुसाइड कर लिया.

खाद की कमी और दामों में वृद्धि पर विरोध

BAREILLY (7 Dec): जिले में डीएपी खाद की कमी और खाद के दामों में वृद्धि होने का आरोप लगाते हुए महानगर कांग्रेस के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को विरोध जताया. किसानों की परेशानी का निस्तारण कराने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट रेनू सिंह को सौंपा. महानगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय शुक्ला ने बताया कि अन्नदाताओं को खाद और पानी आपूर्ति संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इन दिनों डीएपी खाद की बेहद कमी है और इस वजह से उसके दामों में वृद्धि हो गई है. इससे किसानों को अपनी फसल करने के लिए आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि डीएपी खाद के मूल्य की वृद्धि को वापस लेने के साथ ही उपलब्धता बढ़ाई जाए. अजय शुक्ला ने कहा कि डीएपी खाद की कमी को दूर नहीं किया और मूल्य कम नहीं हुए तो किसानों के हित में आंदोलन करेंगे. उन्होंने कहा कि चुनाव के समय सरकार ने जो वादे किये थे, उनको अब वह भूल चुकी है. कांग्रेस सरकार में किसान और आमजन खुश थे. ज्ञापन देने वालों में असलम चौधरी, योगेश जौहरी, अनिल देव शर्मा, सुरेंद्र सोनकर, डा. सर्वत हुसैन हाशमी आदि उपस्थित रहे.

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;
वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**'जीओआई'**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण)** विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेज़ी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेज़ी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगू	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैंः

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार हैः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैंः

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुएः

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		बाद में	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023

निरंतर

के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. **वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा**

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. **एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि**

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाइस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाइस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. **डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः**

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलिवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन)ः

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफ़ॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतेः डी-153-ए, पहली मंजिल| ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर'** अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. **भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः**

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेज़ः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर"** लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज़ जमा करेंः

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।

हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. **अनुपालन अधिकारी**

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490**

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals **कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड** **डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत** **संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209** **ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com** **सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435** **वैधता अवधिः स्थायी** **कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508**	Skyline Financial Services Pvt.Ltd. **स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97 ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241 वैधता अवधिः स्थायी कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

उत्तराखंड की आध्यात्मिक-सांस्कृतिक धरोहर अब होंगी सिलेबस का हिस्सा

अगले सेशन से छठी से लेकर आठवीं कक्षा में संचालित होगा नया सिलेबस

dehradun@inext.co.in

DEHRADUN (7 Dec): भारतीय ज्ञान परंपरा के साथ ही उत्तराखंड की पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक धरोहर और घटनाएं, महान विभूतियां अब विद्यालयी पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनने जा रही हैं. उत्तराखंड बोर्ड से संबद्ध राजकीय, सहायता प्राप्त अशासकीय और निजी विद्यालयों में अगले सत्र से यह पाठ्यक्रम छठी से आठवीं कक्षा में प्रारंभ होगा. राष्ट्रीय शिक्षा नीति के दिशा-निर्देशों और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता को देखते हुए एससीईआरटी की टीम पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है.

तैयार हो रही 'हमारी विरासत'

राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीय ज्ञान प्रणाली को विद्यालयी पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने को कहा गया है. प्रदेश की भाजपा सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन पर विशेष बल दे रही है. नई नीति के प्रावधान के अनुसार भारतीय ज्ञान परंपरा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का निर्णय भी लिया जा चुका है. पहले चरण में इसे छठी से आठवीं कक्षा तक लागू किया जाएगा. इस संबंध में 'हमारी विरासत' पुस्तक तैयार की जा रही है. पुस्तक में उत्तराखंड की पौराणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक एवं पर्यावरणीय महत्व की जानकारी रहेगी. पुस्तक में महान विभूतियों, सैन्य पृष्ठभूमि से जुड़े सेनानियों, साहित्यकारों, पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों, विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विशिष्ट जनों के बारे में विद्यार्थियों को बताया जाएगा. साथ में पंच प्रयागों, तीर्थ स्थलों एवं अन्य धरोहरों के साथ गौरवशाली इतिहास व संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिलेगी. सरकार ने पुस्तक निर्माण व पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण निदेशक वंदना गर्ब्याल की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय समिति गठित की है. निदेशक वंदना गर्ब्याल का कहना है कि पाठ्यक्रम निर्माण के लिए सभी डायट के प्राचार्यों को अपने-अपने जिलों से जुड़ी जानकारी एकत्र करने को कहा गया. इस जानकारी के आधार पर पाठ्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है. शीघ्र की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला भी होगी. शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि भारतीय ज्ञान परंपरा और प्रदेश की समृद्धशाली धरोहरों के बारे में विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है. अगले शैक्षिक सत्र 2024-25 से यह पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा.

> **"भारतीय ज्ञान परंपरा और प्रदेश की धरोहरों एवं महत्व से जुड़ी जानकारी को पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने का प्रयास सार्थक है. यह सरकार का अच्छा कदम है. पुस्तक का नाम 'हमारी विरासत' के स्थान पर हमारी ज्ञान संपदा या वैभव रखना उपयुक्त होगा.**
> **डॉ. राम विनय सिंह,** विभागाध्यक्ष हिंदी, डीएवी पीजी कॉलेज, देहरादून

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;
वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**'जीओआई'**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण)** विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेज़ी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेज़ी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगु	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैंः

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार हैः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैंः

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुएः

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. **कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न**

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		बाद में	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023

निरंतर

के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. **वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा**

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. **एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि**

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. **डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः**

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन)ः

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफ़ॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी-153-ए, पहली मंजिल] ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से '**स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर**' अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. **भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः**

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेज़ः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से "**स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर**" लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज़ जमा करेंः

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टीसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	**दिन और तारीख**
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।

हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. **अनुपालन अधिकारी**

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490**

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals **कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड** **डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत** **संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209** **ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com** **सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435** **वैधता अवधिः स्थायी** **कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508**	Skyline Financial Services Pvt. Ltd. Towards Excellence **स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97 ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241 वैधता अवधिः स्थायी कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

घर में घुसे आठ चोर, ग्रामीणों ने पकड़ा

दिवाली से पांच चोरियों को अंजाम दे चुके हैं चोर

JHANGHA: थाना क्षेत्र के जंगल गौरी नंबर एक गांव में बुधवार रात छत के रास्ते घर में घुसे आठ चोरों को ग्रामीणों ने घेर कर पकड़ लिया. सूचना पर पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने चोरों सौंप दिया. बताया जा रहा है कि दिवाली से अब तक पांच चोरियों को चोरों ने अंजाम दिया है. पुलिस पूछताछ के आधार पर और जगह चोरियों का खुलासे में जुटी है. गांव निवासी रामजतन यादव ने बताया है कि बुधवार रात करीब 2 बजे चोर घर के पीछे के रास्ते से दिवाल फांदकर अंदर घुस गए. कमरे मे सोती हुई महिला को देखकर चोरों ने बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया और बगल के कमरे में घुस गए. उस कमरे में भी एक महिला बच्चों के साथ सोई थी. चोर दरवाजे बंद करने लगे तो महिला की नींद खुल गई और चोरों को देखकर शोर मचाने लगी. घबराकर चोर छत के रास्ते कूदकर भागने लगे. लाइट जलने के कारण महिला ने भाग रहे एक चोर को पहचान लिया. महिला ने चोर का नाम अपने परिजनों को बता दिया. इसके बाद जुटे ग्रामीण उस व्यक्ति के घर पहुंचे तो आठ लोग छिपे मिले. ग्रामीणों ने तत्काल डायल 112 पीआरबी पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी चोरों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी. पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है.

दहेज हत्या के 2 आरोपित अरेस्ट

JHANGHA: ग्राम हरपुर में विवाहिता को दहेज के लिए ससुराल वालों ने हत्या करके शव को समीप के नदी के पास ले जाकर जला दिया था. ग्राम सभा हरपुर साहु मठिया थाना गौरी बाजार, देवरिया निवासी सुभावती ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि बेटी अनीता की शादी 7 जून 2022 को झंगहा के ग्राम हरपुर निवासी पिंटू यादव के साथ हुई थी. 29 नवंबर को सूचना मिली कि अनीता को उसके पति पिंटू यादव, अनिल, राहुल, निशा, रजवंती व परशुराम यादव ने मिलकर मारपीट कर उसकी हत्या कर शव को जंगल भुसवल गांवके समीप नदी के किनारे ले जाकर जला दिया है. मृतका की मां ने दहेज के लिए बेटी की हत्या का आरोप लगाया था. गुरुवार को पुलिस ने पिंटू यादव और अनिल कुमार को बोहाबर पुल के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.

कचरा नहीं हटाया तो होगा एक्शन

GORAKHPUR (7 Dec): शहर में मैरिज हाल, होटल, रिजार्ट में वैवाहिक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है. ऐसे में गीले, सूखे कचरा काफी मात्रा में निकल रहा है. ऐसे में सभी को अपने परिसर में ही कचरे से निपटान की व्यवस्था करनी है लेकिन कुछ जगह ऐसा नहीं हो रहा है.

अपर नगर आयुक्त निरंकार सिंह ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन–नगरीय के तहत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन अधिनियम के अन्तर्गत सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों की ओर से उत्सर्जित कचरे का निपटान उसी परिसर में किया जाना है. किसी भी प्रकार का कचरा कार्यक्रम के उपरांत सड़क अथवा डस्टबिनों में न फेंका जाए. अगर प्राइवेट एजेंसी को दिया जा रहा है, तो जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी.

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490; वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**'जीओआई'**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण)** विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेज़ी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेज़ी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगू	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैंः

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार हैः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैंः

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुएः

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. **कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न**

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		बाद में	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023

निरंतर

के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. **वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा**

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. **एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि**

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. **डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः**

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलिवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन)ः

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफ़ॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतेः डी-153-ए, पहली मंजिल] ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर'** अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. **भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः**

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेज़ः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर"** लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज़ जमा करेंः

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।
(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।
हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. **अनुपालन अधिकारी**

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490**

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals **कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड** **डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत** **संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209** **ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com** **सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435** **वैधता अवधिः स्थायी** **कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508**	Skyline Financial Services Pvt. Ltd. Towards Excellence **स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97 ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241 वैधता अवधिः स्थायी कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

नए साल से शुरू होगा सिद्धनाथ मंदिर कॉरिडोर वर्क

kanpur@inext.co.in

KANPUR (7 Dec): आनंदेश्वर मंदिर कॉरिडोर के बाद अब नए साल से सिद्धनाथ मंदिर कॉरिडोर का निर्माण शुरू होगा. पहले फेज में चार करोड़ रुपये से मंदिर के सुंदरीकरण के साथ ही पार्किंग और आसपास का विकास के काम कराए जाएगा. इसके निर्माण के लिए 26 दिसंबर को टेंडर ओपन किया जाएगा है. जनवरी से काम शुरू करने की तैयारी की जा रही है. सेकेंड फेज में भी चार करोड़ रुपये से फोरलेन रोड का निर्माण कराया जाएगा.

सिद्धनाथ मंदिर में बनेगा कॉरिडोर.

100 फोर व्हीलर की पार्किंग की होगी व्यवस्था

काशी कॉरिडोर की तर्ज पर आनंदेश्वर मंदिर कॉरिडोर परमट का निर्माण कराया जा रहा है. 70 प्रतिशत से ज्यादा काम हो चुका है. इसी कड़ी में सिद्धनाथ मंदिर कॉरिडोर जाजमऊ का भी निर्माण कराने की तैयारी की जा रही है. रास्ता चौड़ा करने के साथ ही मंदिर परिसर में सौ फोर व्हीलहर पार्क करने के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है ताकि रोड पर व्हीकल न खड़े हो और लोगों को जाम से निजात मिल सके. इसके अलावा मंदिर परिसर के अंदर सुंदरीकरण कराया जा रहा है. आधुनिक लाइटें और बैठने की व्यवस्था की जाएगी. भक्तों के पानी पीने के भी व्यवस्था होगी.

सेकेंड फेज में फोरलेन रोड

नगर आयुक्त शिव शरणप्पा जीएन के आदेश पर जोन छह के एक्सईएन दिवाकर भास्कर ने कॉरिडोर के निर्माण के लिए पहले फेज में चार करोड़ रुपये का खाका तैयार किया है. एक्सईएन ने बताया कि 26 दिसंबर को टेंडर है. सेकेंड फेज में जाजमऊ पुलिस स्टेशन से दुर्गा मंदिर तक फोरलेन रोड का निर्माण और रोशनी की व्यवस्था की जाएगी. पहले फेज का काम जनवरी के पहले पखवारे में शुरू कर दिया जाएगा.

11-12 दिसंबर को इंटरनेशनल कांफ्रेंस

kanpur@inext.co.in

KANPUR (7 Dec): सीएसजेएमयू और एएसईएम (एशिया यूरोप मीट) की ओर से 11 और 12 दिसंबर को 'लाइफलांग लर्निंग हब सीएसजेएमयू कैंपस, बियॉन्ड एजुकेशन- इम्प्लीमेंटिंग लाइफलॉन्ग लर्निंग इंडिया' विषय पर इंटरनेशनल कांफ्रेंस होगी. थर्सडे को प्रेस कांफ्रेंस करते हुए प्रोवीसी प्रो. सुधीर कुमार अवस्थी ने बताया कि एएसईएम लाइफलांग लर्निंग का इंटरनेशनल नेटवर्क है, जिसमें 51 देश, यूरोपीय संघ और आसियान मेंबर हैं. उद्घाटन कांफ्रेंस के चीफ गेस्ट, हायर एजुकेशन मिनिस्टर योगेंद्र उपाध्याय, करेंगे. प्रोग्राम में एएसईएम अध्यक्ष, प्रो. सेमस ओ तुआमा, आयरलैंड लेक्चर देंगे.

एमओयू भी होगा

एएसईएम एलएलएल हब और सीएसजेएमयू के बीच एक एमओयू होगा, जिसके आधार पर स्टूडेंट और फैकल्टी एक्सचेंज समेत कई काम होंगे. यह कांफ्रेंस हाइब्रिड मोड पर है, इसलिए डेनमार्क, आयरलैंड, यूरोपीय संघ और भारत के अन्य राज्यों के पार्टिसिपेट्स ऑनलाइन मोड में शामिल होंगे.

प्रेस कांफ्रेंस में प्रो. संदीप सिंह, प्रो. अंशु यादव, डॉ. प्रशांत, डॉ. विशाल शर्मा और डॉ. अभिषेक मिश्रा आदि मौजूद रहे.

Corporate Professionals

Skyline

सड़क हादसों में खत्म हो गईं चार जिंदगियां

iSHOCKING

डंपर ने छात्र को रौंदा, ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को ठोंका

BARABANKI (7 Dec): अलग-अलग स्थानों पर गुरुवार भोर हुए सड़क हादसों में कक्षा 11 के छात्र सहित तीन लोगों की मौत हो गई. साइकिल सवार छात्र को डंपर रौंदते निकल गया. बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी. ट्रैक्टर की टक्कर से साइकिल सवार ने दम तोड़ा. वहीं, एक हादसे में जीजा की मौत हो गई और साल बुरी तरह जख्मी हो गया.कोतवाली के शोभापुर गांव निवासी दिनेश कुमार का बेटा नीरज सुमेरगंज सरस्वती विद्या मंदिर में कक्षा 11 का छात्र था. गुरुवार सुबह वह साइकिल से स्कूल जा रहा था. बेल्हा में नहर के पास रोड किनारे खड़े डंपर के चालक ने अचानक डंपर का दरवाजा खोल दिया. जिससे टकराकर वह गिर गया और पीछे से आए दूसरे डंपर ने उसे रौंद दिया.

ट्रैक्टर की टक्कर से मौत

कोतवाली नगर के आवास विकास कालोनी निवासी अखिलेश मौर्य ग्राम भटेहटा स्थित गणपति फैक्ट्री में काम करते थे. गुरुवार सुबह वह साइकिल से फैक्ट्री जा रहे थे. भटेहटा गांव के मोड़ पर अनियंत्रित ट्रैक्टर ने साइकिल सवार को टक्कर मारी. सीएचसी देवा में उसे मृत घोषित कर दिया गया.

अज्ञात वाहन ने ली जान

कोठी थाना के ग्राम मिर्जापुर निवासी पंकज कुमार वर्मा अहिरनपुरवा गांव में गुरुवार सुबह एक अंतिम संस्कार में शामिल होने बाइक से जा रहे थे. वह जैदपुर-भानमऊ संपर्क मार्ग स्थित शराब ठेके के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से उनकी मौत हो गई. वहीं, रामनगर निवासी डा. मंगली प्रसाद शुक्ल व उनके साले ओंकार त्रिवेदी बुधवार रात बाइक से शादी में गए थे. लौटते समय रात करीब 10 बजे अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी. हादसे में मंगली प्रसाद की मौके पर ही मृत्यु हो गई.

दारोगा की पत्नी को लूटने वाले अरेस्ट

MOHANLALGANJ (7 Dec): मोहनलालगंज में दारोगा की पत्नी से लूट करने वाले दो आरोपितों को पुलिस ने पकड़ा है. इनके पास से लूट के 50 हजार रुपए, दो मोबाइल व एक बाइक मिली है. आरोपित लखनऊ, रायबरेली संग पांच से अधिक जिलों में वारदातों को अंजाम दे चुके हैं.डीसीपी दक्षिणी विनीत जायसवाल ने बताया कि पकड़े गए आरोपित गंज निवासी सचिन नायर व मुकेश सोनकर हैं. सचिन बैंक के अंदर और मुकेश बैंक के बाहर रेकी करता था. वहां से नगदी लेकर निकलने वाली महिलाओं को निशाना बनाते थे. दोनों ने पूछताछ में बताया एक दिसंबर को मोहनलालगंज कस्बे में एसबीआइ बैंक में सचिन बैंक के अंदर मौजूद था. तभी दारोगा की पत्नी नीतू सिंह ने रुपये निकाल कर बैग में रखा और बाहर निकली थी, जिस पर उनका पीछा कर बैग लूट कर फरार हो गए थे.

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;
वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**'जीओआई'**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण)** विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेज़ी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेज़ी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगू	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैः

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार हैः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैंः

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुएः

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. **कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न**

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		बाद में	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023

निरंतर

के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. **वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा**

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. **एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि**

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. **डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः**

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन)ः

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफ़ॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतेः डी-153-ए, पहली मंजिल] ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से '**स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर**' अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. **भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः**

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेज़ः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर"** लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज़ जमा करेंः

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	**दिन और तारीख**
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।
(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।
हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. **अनुपालन अधिकारी**

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490**

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals **कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड** **डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत** **संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209** **ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com** **सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435** **वैधता अवधिः स्थायी** **कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508**	Skyline Financial Services Pvt. Ltd. Towards Excellence **स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97 ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241 वैधता अवधिः स्थायी कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

आवारा पशु से टकराई बाइक, युवक गंभीर रूप से घायल

राहगीरों ने घायल युवक को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया

SARDHANA (7 Dec, JNN): सड़को पर घूम रहे आवारा पशु आए दिन हादसों का कारण बन रहे है. गुरुवार को क्षेत्र के मढ़ियाई गांव के सामने मेरठ मार्ग पर बाइक सवार युवक पशु से टकरा कर गंभीर रूप से घायल हो गया. राहगीरों ने घायल युवक को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया. जहां से उसे मेरठ रेफर कर दिया.

ये है मामला

मेरठ के कांच का पुल निवासी शावेज पुत्र आफताब बाइक पर सवार होकर किसी काम से सरधना आ रहा था. मढ़ियाई गांव के सामने पहुंचने पर अचानक सड़क पर बेसहारा सांड आ गया. जबतक बाइक सवार कुछ समझ पाता तबतक उसकी बाइक सांड से टकरा गई और युवक सड़क पर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया. राहगीरों ने युवक को गंभीर हालत में कस्बे के निजी अस्पताल में भर्ती कराया. युवक को गंभीर हालत में देख चिकित्सकों ने मेरठ रेफर कर दिया.

ध्यान नहीं दे रहे अधिकारी

वहीं, करीब पांच माह पूर्व भी सरूरपुर थाने से लिसाडीगेट थाने में ड्यूटी पर जाने को निकले एक सिपाही की आवारा पशु से टकराने से मौत हो गई थी. जबकि दो माह पूर्व भी एक होमगार्ड सड़क पर आवारा पशु से टकराकर गंभीर रूप से घायल हो गया था. इससे पहले भी अनेक घटनाओं में कई लोगों की जान जा चुकी है. लोग सड़को पर घूम रहे ने आवारा पशुओं को पड़कर गोशाला भिजवाने की मांग कर चुके है. लेकिन, कोई समाधान नहीं हो पाया है. एसडीएम पंकज प्रकाश राठौर ने बताया कि मामला जानकारी में नहीं है. बीडीओ को आवारा पशुओं को पकड़वाने को अभियान चलाने के निर्देश दिए जाएंगे.

वर्चस्व को लेकर स्टूडेंट्स के दो गुट भिड़े, मची अफरा-तफरी

MAWANA (7 Dec, JNN): नगर में मिल रोड पर गुरुवार सुबह को वर्चस्व को लेकर दो छात्र गुटों में मारपीट हो गई, जिसमें लात-घूंसे व बेल्ट चली. सरे राह मारपीट से अफरा-तफरी मच गई, लेकिन राहगीरों व पुलिस के पहुंचने पर छात्र एक दूसरे को धमकी देकर फायर करते हुए फरार हो गए. दो छात्र गुरुवार को लगभग 11 बजे मिल रोड की ओर से लौट रहे थे. इसी बीच आए छात्र से उनकी किसी बात पर कहासुनी हो गई. अकेले पड़े छात्र ने साथियों को भी फोन करके वहां बुला लिया. उसके बाद दोनों गुटों में लात-घूसे चले. सरेराह मारपीट से वहां अफरा-तफरी मच गई. इस दौरान काफी देर तक किसी ने भी उनका बीच बचाव नहीं कराया. इस बीच पुलिस पहुंच गई लेकिन वह पहले ही फायर करते हुए फरार हो गए. उधर, थाना प्रभारी सुभाष सिंह ने कहा ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है.

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;
वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**'जीओआई'**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) **श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण)** विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेज़ी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेज़ी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगू	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैंः

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार हैः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैंः

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुएः

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. **कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न**

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		बाद में	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023

निरंतर

के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. **वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा**

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. **एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि**

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. **डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः**

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन)ः

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफ़ॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पतेः डी-153-ए, पहली मंजिल] ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर'** अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. **भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः**

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेज़ः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर"** लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज़ जमा करेंः

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	दिन और तारीख
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।

हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. **अनुपालन अधिकारी**

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490**

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals	Skyline Financial Services Pvt. Ltd.
कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड **डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत** **संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209** **ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com** **सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435** **वैधता अवधिः स्थायी** **कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508**	**स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97 ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241 वैधता अवधिः स्थायी कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

भूमिगत केबिल कटा

VARANASI (08 Dec): सारनाथ में प्रो पुअर के तहत सीवर लाइन के लिए खोदाई के दौरान गुरुवार सुबह सारनाथ रेलवे स्टेशन तिराहे के पास भूमिगत 11 हजार लाइन की केबिल कट गई. इससे अटल नगर फीडर से जुड़े इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई. बिजली विभाग के लोगों ने दूसरे फीडर से आपूर्ति बहाल की. सारनाथ में केके कंस्ट्रक्शन की ओर से स्टेशन मार्ग स्थित तिराहे पर जेसीबी मशीन से खोदाई की जा रही थी. उपखंड अधिकारी एमके गुप्ता ने कार्यदायी संस्था के अवर अभियंता वकील अंसारी को इसकी जानकारी दी. कार्यदायी संस्था ने शाम तक नई केबल लगा कर इसे दुरुस्त किया. बुधवार को भी कार्यदायी संस्था द्वारा आकाशवाणी तिराहे पर सड़क खोदाई करते समय अटल नगर कालोनी की 11 हजार वोल्ट केबिल कट गई थी.

माध्यमिक विद्यालयों में भी टीएलएम से पढ़ाई

राज्य हिंदी संस्थान को टीचिंग लर्निंग मेटेरियल बनाने की जिम्मेदारी

VARANASI (08 Dec): अब माध्यमिक विद्यालयों स्तर के विद्यार्थियों को भी टीचिंग लर्निंग मेटेरियल (टीएलएम) के माध्यम से भी पढ़ाया जाएगा. हिंदी विषय का टीएलएम बनाने की जिम्मेदारी वाराणसी के राज्य हिंदी संस्थान को सौंपी है. वाराणसी सहित छह जिलों के अध्यापक टीएलएम को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं ताकि इसके आधार पर टीएलएम की पुस्तक बनाई जा सके. इस पुस्तक से यूपी बोर्ड में अध्ययनरत कक्षा नौ से 12 तक सूबे के सभी विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा.

संस्थान के निदेशक ऋचा जोशी के मुताबिक ने बताया कि अक्टूबर माह में हिंदी विषय का टीएलएम बनाने के लिए प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता कराई गई थी. इसमें व्याकरण की अवधारण, गद्य साहित्य की विधाएं व पद्य साहित्य का इतिहास से संबंधित 64 टीएलएम चुने गए. इसमें कई महत्वपूर्ण प्वांइट छूट गए थे. इसे देखते हुए कार्यशाला आयोजित कर इसे पूर्ण कराया जा रहा है. प्रकाशन, प्रशिक्षण एवं शोध अधिकारी अवधेश कुमार के नेतृत्व में आयोजित कार्यशाला में वाराणसी के अलावा सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, गाजीपुर, मीरजापुर, जौनपुर के शिक्षक शामिल है. इसमें मुख्य रूप से डा. दीपा द्विवेदी, अमरेंद्र मिश्र, डा. अर्पणा श्रीवास्तव, अराधना उपाध्याय, मनोज यादव सहित 17 अध्यापक शामिल है.

सुराग तलाशने गई टीम

VARANASI (08 Dec): पान-मसाला फैक्ट्री के वाहन चालक और सेल्समैन पर फायरिंग कर लूट के प्रयास की घटना का सुराग तलाशने पुलिस की दो टीम अयोध्या गई है. पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा. पुलिस के अनुसार गोइठहां में प्रेमचंदनगर कालोनी (पांडेयपुर) निवासी शशिकांत पांडेय की पान मसाला फैक्ट्री है. यहां से पान मसाला डासाएम म चालक रामपुर बराना (बड़ागांव) निवासी राजकुमार और सेल्समैन आशापुर (सारनाथ) निवासी प्यारेलाल लेकर मंगलवार को अयोध्या गए थे. वहां माल उतारने के बाद वसूली के सात लाख 35 हजार रुपये लेकर लौटे थे. डीसीएम को फैक्ट्री में रखकर चालक कार से रुपये लेकर फैक्ट्री मालिक के घर के लिए निकला था. उसके पीछे बाइक से सेल्समैन प्यारेलाल भी था.

सार्वजनिक शेयरधारकों के ध्यानार्थ के लिए

स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड

CIN : L25111 UP1972GOI003599

पंजीकृत कार्यालयः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश - 226010, भारत; दूरभाष. नंबरः 0522-3178490;
वेबसाइटः www.scootersindialimited.com; ईमेलः csscootersindia@gmail.com; अनुपालन अधिकारीः श्री राज शेखर तिवारी

यह विज्ञापन कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ऑफर के प्रबंधक (**"प्रबंधक"**) द्वारा भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के माध्यम से जारी किया जा रहा है, जिसका प्रतिनिधित्व श्री अमित श्रीवास्तव, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी"**) कर रहे हैं। (इसके बाद **"अधिग्रहणकर्ता"** के रूप में संदर्भित) ने स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड (**"कंपनी"**) के सार्वजनिक शेयरधारकों को निम्नलिखित इरादे से भेजाः (ए) सभी का अधिग्रहण इक्विटी शेयर जो सार्वजनिक शेयरधारकों के पास हैं; और (बी) परिणामस्वरूप स्वेच्छा से बीएसई लिमिटेड (**"बीएसई" / "स्टॉक एक्सचेंज"**) से इक्विटी शेयरों को सूचीबद्ध करना, एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज जहां कंपनी के इक्विटी शेयर वर्तमान में सूचीबद्ध हैं, एक डीलिस्टिंग प्रस्ताव देकर, इसके अनुसार और में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के पत्र क्रमांक द्वारा दी गई छूट का अनुपालन SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021 /26908/1 दिनांक 04 अक्टूबर 2021 (**"छूट पत्र 1"**) पत्र संख्या SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023 (**"छूट पत्र 2"**) के साथ पढ़ें। पत्र क्रमांक. SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023 (**"छूट पत्र 3"**) और कोई भी भविष्य की छूट जो सेबी से प्राप्त हो सकती है (**"छूट पत्र"**) और लागू भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग)** विनियम, 2021 (**"डीलिस्टिंग विनियम"**) (**"डीलिस्टिंग प्रस्ताव" या "डीलिस्टिंग ऑफर"**) के प्रावधान।

1. डीलिस्टिंग ऑफर की पृष्ठभूमि

1.1.अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अध्याय VI के अनुसार सार्वजनिक शेयरधारकों से कंपनी की भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयर (**"ऑफर शेयर"**) हासिल करने के लिए यह डीलिस्टिंग ऑफर दे रहा है।

1.2.भारत सरकार (**'जीओआई'**), भारी उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI, दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना/इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने के अपने निर्णय की सूचना दी। इसके अलावा, भारत सरकार के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले, कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्टॉक एक्सचेंज और जनता के साथ इक्विटी शेयरों से हटाना आवश्यक है। डी लिस्टिंग विनियमों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया जाना है और सार्वजनिक शेयरधारकों को भुगतान किया जाना है। इस संबंध में, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (**"सीएमडी") श्री अमित श्रीवास्तव** को अधिग्रहणकर्ता द्वारा प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए अधिग्रहणकर्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अधिकृत किया गया है;

1.3. तदनुसार, कंपनी ने प्रस्तावित डेली स्टिंग प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकर की नियुक्ति के लिए 05 जुलाई, 2021 को एक निविदा जारी की। उपरोक्त के अनुसार और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 9 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया;

1.4. अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने दिनांक 03 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से अन्य बातों के साथ-साथ स्वेच्छा से कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा रखे गए इक्विटी शेयरों को प्राप्त करके डेली स्टिंग विनियमों के अनुसार कंपनी के इक्विटी शेयर डीलिस्ट करने का इरादा व्यक्त किया है।

1.5. उपरोक्त को देखते हुए और डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 8 के प्रावधानों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से प्रबंधक द्वारा अपना इरादा व्यक्त करने के लिए 3 मई 2023 को एक प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा (**"आईपीए"**) की गई थी। लागू कानून के अनुसार डीलिस्टिंग प्रस्ताव शुरू करने के लिए और परिणामस्वरूप डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से डीलिस्ट करने का प्रस्ताव दिया गया।

1.6. आईपीए प्राप्त होने पर, कंपनी ने 17 मई, 2023 को स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि बोर्ड की बैठक 22 मई, 2023 को होनी है। इसके बाद, बोर्ड की बैठक 24 मई, 2023 तक के लिए स्थगित कर दी गई, जिसमें डीलिस्टिंग प्रस्ताव के प्रस्ताव पर विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

1.7. कंपनी ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 1 0(2) के संदर्भ में सीएस अमित गुप्ता, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एक पीयर-रिव्यू कंपनी सेक्रेटरी नियुक्त किया।

1.8. छूट पत्रों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड **(शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण)** विनियमन, 2011 (**"अधिग्रहण विनियम"**) के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 20 के अनुसार, गणना के लिए कंपनी का उचित मूल्य न्यूनतम मूल्य 31.78/- रुपये प्रति शेयर आंका गया था। इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को एक आवेदन दिया और मंत्रालय ने अपने पत्र दिनांक 09 फरवरी, 2023 के माध्यम से मंजूरी दे दी थी। न्यूनतम कीमत 31.78/- रुपये प्रति शेयर होगी।

1.9. कंपनी के निदेशक मंडल ने 24 मई, 2023 को हुई अपनी बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को रिकॉर्ड में लियाः

i. सेबी द्वारा अपने छूट पत्रों के माध्यम से दी गई विभिन्न छूट;

ii. 24 मई, 2023 की ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट, पीयर रिव्यू कंपनी सचिव अमित गुप्ता एंड एसोसिएट्स द्वारा प्रस्तुत की गई; और

iii. डीलिस्टिंग के विभिन्न कारकों और फायदों पर विचार करने के बाद, बोर्ड ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 10(4) के तहत अपनी मंजूरी दे दी है और स्वेच्छा से डीलिस्टिंग के प्रस्ताव की सिफारिश की है। डाक मतपत्र के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों की मंजूरी के लिए स्टॉक एक्सचेंज से कंपनी के इक्विटी शेयर। बोर्ड ने पुष्टि की किः

(ए) कंपनी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्ध दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताओं) विनियमों , 2015 (**"लिस्टिंग विनियम"**); के विनियम 17(1), विनियम 31, विनियम 38, विनियम 107, विनियम 108 और विनियम 6 को छोड़कर प्रतिभूति कानूनों के लागू प्रावधानों का अनुपालन करती है।

(बी) अधिग्रहण डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 4(5) के अनुपालन में होता है; और

(सी) प्रस्तावित डीलिस्टिंग कंपनी के शेयरधारकों के हित में है।

1.1 0. कंपनी ने 05 जून, 2023 को पोस्टल बैलेट और ई वोटिंग के माध्यम से कंपनी के शेयरधारकों को उनकी मंजूरी लेने के लिए पोस्टल बैलेट का नोटिस भेजा था।

1.11 . 07 जुलाई 2023 को डाक मतपत्र के परिणाम घोषित किये गये। इसके अलावा, बीएसई ने डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 12 के अनुसार 30 अक्टूबर, 2023 के अपने पत्र के माध्यम से डीलिस्टिंग ऑफर को सैद्धांतिक मंजूरी जारी कर दी है।

1.12. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता के पास 8,19,24,029 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी का 93.87% प्रतिनिधित्व करते हैं और कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारक के पास 53,48,226 इक्विटी शेयर हैं जो भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी का 6.13% प्रतिनिधित्व करते हैं।

1.13. प्रस्ताव के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सार्वजनिक शेयरधारकों से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के अलावा कंपनी के सभी शेयरधारकों से भुगतान की गई इक्विटी शेयर पूंजी के शेष 6.13% का प्रतिनिधित्व करने वाले 53,48,226 इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना चाहता है, असूचीबद्धता विनियम के अनुपालन में।

1.14. ऑफर के बाद, डीलिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों और ऑफर लेटर में निर्धारित नियमों और शर्तों और डेली से संबंधित किसी भी अन्य दस्तावेज के अनुसार स्टॉक एक्सचेंज से इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के लिए एक आवेदन किया जाएगा। स्टिंग ऑफर, नतीजतन, इक्विटी शेयरों को स्वेच्छा से स्टॉक एक्सचेंज से हटा दिया जाएगा।

1.15. यह सार्वजनिक घोषणा (पीए) छूट पत्र 1 और डीलिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक निम्नलिखित समाचार पत्रों में जारी की जा रही हैः

समाचार पत्र	भाषा	संस्करणों
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस	अंग्रेज़ी	अखिल भारतीय
जनसत्ता	हिंदी	अखिल भारतीय
दैनिक एक्सेलसियर	अंग्रेज़ी	जम्मू और श्रीनगर
दैनिक आफताब	उर्दू	श्री नगर
दैनिक जागरण	हिंदी	संपूर्ण उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक
संदेश	गुजराती	गुजरात
दैनिक भास्कर	हिंदी	एमपी और छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ + हिमाचल प्रदेश, बिहार + झारखंड
लोकसत्ता	मराठी	महाराष्ट्र
पुण्यनगरी	मराठी	महाराष्ट्र
बार्टमैन	बंगाली	पश्चिम बंगाल
तेलुगु जे.डी. वार्ता	तेलुगू	आंध्र प्रदेश + तेलंगाना
हिन्दू	तामिल	तमिलनाडु
केरल कौमडी	मलयालम	केरल
विजयवाणी	कन्नडा	कर्नाटक

2. प्रस्तावित डीलिस्टिंग का औचित्य और उद्देश्य

प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा में अधिग्रहणकर्ता ने डीलिस्टिंग प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित को तर्क के रूप में निर्दिष्ट किया हैः

2.1. भारत सरकार, भारी उद्योग मंत्रालय (**"एमएचआई"**), नई दिल्ली के पत्र क्रमांक. एफ. नंबर 3(1)/2020-पीई-VI दिनांक 28 जनवरी, 2021 ने कंपनी की योजना इकाई के संचालन को बंद करने और कंपनी को बंद करने का निर्णय लिया।

2.2. साथ ही, उसी पत्र के माध्यम से, एमएचआई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत कंपनी को बंद करने से पहले बीएसई लिमिटेड से कंपनी के इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग को मंजूरी दे दी।

2.3. इसके अलावा, कंपनी एक चालू संस्था नहीं रह गई है और उपरोक्त पत्र के अनुसार आवश्यक कदम उठाए गए हैं।

2.4. एमएचआई द्वारा लिए गए निर्णय की शर्तों के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी को भंग किया जाना है।

2.5. इसके अलावा, कंपनी की चुकता पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10 रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी में प्रमोटर्स की शेयरहोल्डिंग 93.87% है और पब्लिक होल्डिंग महज 6.13% है। कंपनी के शेयरों में बहुत कम कारोबार हो रहा है और बीएसई लिमिटेड पर सूचीबद्ध होने के कारण कोई लाभ नहीं मिल रहा है। कंपनी के इक्विटी शेयरों का कारोबार फिलहाल बहुत कम होता है, पिछले 12 महीनों के दौरान महज 1.79% कारोबार हुआ है।

2.6. स्टॉक एक्सचेंज पर इक्विटी शेयरों की सीमित तरलता को देखते हुए, प्रस्तावित डीलिस्टिंग सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कंपनी से बाहर निकलने का अवसर प्रदान करेगी।

3. सेबी छूट पत्र

अधिग्रहणकर्ता द्वारा मांगी गई सेबी छूट इस प्रकार हैंः

3.1. **सेबी ने छूट पत्र सं. SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2021/26908/1** दिनांक 04 अक्टूबर 2021, **SEBI/HO/CFD/DCR3/P/OW/2023/2508/1 दिनांक 18 जनवरी 2023** और **SEBI/HO/CFD/RAC/DCR2/P/OW/2023/1786/1 दिनांक 02 मई, 2023** के साथ पठित ने प्रस्तावित डीलिस्टिंग के लिए विभिन्न छूटें प्रदान कीं। इन पत्रों के माध्यम से दी गई छूट का विवरण इस प्रकार हैः

3.1.1. सेबी (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("एलओडीआर विनियम") के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनिवार्य, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 12(4)(डी) के प्रावधानों से छूट। एलओडीआर विनियमों के विभिन्न प्रावधान जिनसे सेबी से छूट प्राप्त की गई है, नीचे दिए गए हैंः

3.1.1.1. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) में कहा गया है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक शामिल होंगे।

3.1.1.2. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 31 में कंपनी को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि प्रमोटर (ओं) और प्रमोटर समूह की सौ प्रतिशत शेयरधारिता डीमटेरियलाइज्ड रूप में है और इसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से निरंतर आधार पर बनाए रखा जाता है।

3.1.1.3. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 38 को प्रतिभूति अनुबंध (विनियम) नियम, 1957 के नियम 19(2) और नियम 19ए के साथ पढ़ा जाता है, जिसमें कंपनी को समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होती है।

3.1.1.4. स्टॉक एक्सचेंजों पर प्रतिभूतियों की लिस्टिंग पर एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 107 और 108

3.1.1.5. एलओडीआर विनियम, 2015 के विनियम 6 में कंपनी को एक योग्य कंपनी सचिव को अनुपालन अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता है।

3.1.2. इसके अलावा, छोटी कंपनियों के लिए पात्रता मानदंड में छूट मांगी गई थी, जैसा कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियमन 35(1) के तहत निर्दिष्ट है, क्योंकि 31 मार्च, 2021 तक कंपनी की कुल संपत्ति 50.24 लाख रुपये थी, जो मानदंडों को पूरा करती थी, हालांकि भुगतान किया गया था। शेयर पूंजी 87.27 करोड़ रुपये थी जो कि डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(1) के तहत निर्दिष्ट सीमा से अधिक थी।

3.1.3. डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 42 के तहत छूट w.r.t. स्वैच्छिक असूचीबद्धता की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए समयसीमा को 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया।

3.1.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से सांकेतिक मूल्य मांगने से छूट और सार्वजनिक शेयरधारिता का 90% या अधिक रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की सहमति, निम्नलिखित शर्तों के अधीनः

3.1.4.1. अधिग्रहणकर्ता प्रस्ताव के लिए एक प्रबंधक नियुक्त करेगा और परामर्श के बाद निकास मूल्य तय करेगा। सार्वजनिक शेयरधारकों को दी जाने वाली निकास कीमत टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के उप-विनियम (2) के खंड (ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगी।

3.1.4.2. अधिग्रहणकर्ता कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से लिखता है और उन्हें इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के अपने इरादे, निकास मूल्य के साथ-साथ उसके औचित्य के बारे में सूचित करता है और डीलिस्टिंग के प्रस्ताव के लिए उनकी सहमति मांगता है।

3.1.4.3. सार्वजनिक शेयरधारकों को किए गए संचार में लागू मापदंडों के विशेष संदर्भ के साथ प्रस्ताव मूल्य का औचित्य शामिल होगा और विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा कि प्रस्ताव के लिए सहमति में रिवर्स बुक-बिल्डिंग पद्धति के माध्यम से निकास मूल्य की खोज को समाप्त करने की सहमति शामिल होगी।

3.1.4.4. अपने इक्विटी शेयरों को डीलिस्ट करने के बाद, प्रमोटर ऐसे इक्विटी शेयर रखने वाले किसी भी शेष सार्वजनिक शेयरधारक द्वारा दिए गए शेयरों को डीलिस्टिंग की तारीख से 2 साल की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेंगे, जिस कीमत पर शेयरों की पहले स्वीकृति हुई थी व बनाया गया था।

3.1.4.5. प्रस्ताव के प्रबंधक, अधिग्रहणकर्ता के साथ समन्वय में, यह सुनिश्चित करेंगे कि शेष सार्वजनिक शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और इसे आगे बढ़ाते हुएः

3.1.4.5.1. त्रैमासिक आधार पर, उन्हीं अखबारों में एक विज्ञापन प्रकाशित करें जिसमें इक्विटी शेयरों की डीलिस्टिंग की पेशकश की सार्वजनिक घोषणा प्रकाशित की गई थी, जिसमें शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को शेयरों की डीलिस्टिंग के बाद दो साल की निकास विंडो के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के लिए आमंत्रित किया गया था। .

3.1.4.5.2. शेष सार्वजनिक शेयरधारकों को तिमाही आधार पर अनुवर्ती संचार भेजें; और

3.1.4.5.3. स्टॉक एक्सचेंज को त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करें, जिसे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा निम्नलिखित का खुलासा करते हुए जनता के बीच प्रसारित किया जाएगाः

क) तिमाही की शुरुआत और अंत में शेष सार्वजनिक शेयरधारकों की संख्या; और

ख) तिमाही के दौरान बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों का विवरण।

4. **कंपनी की वर्तमान और अपेक्षित पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न**

4.1. इस समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि के अनुसार, कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी 2,50,00,00,000 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 25,00,00,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित है। कंपनी की जारी इक्विटी शेयर पूंजी 87,27,38,188 रुपये है, जो 10/- रुपये अंकित मूल्य के 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों में विभाजित है।

4.2. इस सार्वजनिक घोषणा की तिथि पर शेयरधारिता संरचना इस प्रकार हैः

	पूर्व		**बाद में**	
विवरण	**शेयरों की संख्या**	**%**	**शेयरों की संख्या**	**%**
प्रवर्तक एवं प्रवर्तक समूह	8,19,24,029	93.87	8,72,72,255#	100.00
कुल प्रमोटर होल्डिंग (ए)	**8,19,24,029**	**93.87**	**8,72,72,255**	**100.00**
कुल सार्वजनिक हिस्सेदारी (बी)	53,48,226	6.13	शून्य	0.00
कुल योग (ए+बी)	**8,72,72,255**	**100.00**	**8,72,72,255**	**100.00**

#प्रस्तावित डिलिस्टिंग ऑफर में 100% टेंडरिंग मानते हुए

4.3. 8,72,72,255 इक्विटी शेयरों की कुल चुकता शेयर पूंजी में से, 19,90,010 इक्विटी शेयर बीएसई पर सूचीबद्ध हैं, शेष 8,19,24,029 शेयर अधिग्रहणकर्ता को आवंटित किए गए हैं और विशेष राष्ट्रीय निवेश कोष द्वारा रखे गए 33,61,461 इक्विटी शेयर असूचीबद्ध हैं। और सेबी ने अपने छूट पत्र 1 के माध्यम से इसमें छूट प्रदान की है।

5. फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस का निर्धारण

5.1. छूट पत्र में उल्लिखित शर्तों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता को दो स्वतंत्र सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट से कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्यांकन प्राप्त करना अनिवार्य था और डीलिस्टिंग के लिए न्यूनतम मूल्य, किसी भी मामले में, दो मूल्यांकनों में से उच्चतर से कम नहीं होगा।

5.2. तदनुसार, अधिग्रहणकर्ता ने मेसर्स नामक दो सहकर्मी-समीक्षित चार्टर्ड अकाउंटेंट नियुक्त किए थे। सचिन एंड एसोसिएट (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 010929 और एफआरएन 015090सी और मेसर्स ओम रस्तोगी एंड कंपनी (पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट नंबर 011300 और एफआरएनः 002604सी) विनियम 20 के अनुसार कंपनी के उचित मूल्य की गणना के लिए। टेकओवर विनियमों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डीलिस्टिंग विनियम, जिन्होंने 19 सितंबर, 2022 और 03 अक्टूबर, 2022 के अपने प्रमाणपत्रों के माध्यम से क्रमशः 31.78/- रुपये और 28.35/- प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य की गणना की है।

5.3. इसके बाद, अधिग्रहणकर्ता की ओर से सीएमडी ने प्रस्तावित स्वैच्छिक डीलिस्टिंग के लिए फ्लोर प्राइस की मंजूरी के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के साथ आवेदन किया और मंत्रालय ने 09 फरवरी,2023

निरंतर

के अपने पत्र के माध्यम से फ्लोर प्राइस 31.78/- रुपये प्रति करने की मंजूरी दे दी है। शेयर करना।

5.4. उपरोक्त के संदर्भ में, बोर्ड ने अधिग्रहणकर्ता और कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से प्राप्त 24 मई, 2023 के पत्र को रिकॉर्ड में ले लिया, जिसमें कंपनी को सूचित किया गया था कि डेली स्टिंग ऑफर की न्यूनतम कीमत रु. 31.78/- (इकतीस रुपये और अठहत्तर पैसे मात्र) प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों और छूट पत्रों के विनियम 8 के साथ पढ़े गए डेली स्टिंग विनियमों के विनियम 20(2) के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

5.5. इसके अलावा, डीलिस्टिंग विनियमों के विनियम 35(2) के प्रावधानों और सेबी द्वारा दिए गए छूट पत्रों के अनुसार, और सार्वजनिक शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में, अधिग्रहणकर्ता ने रुपये का निकास मूल्य तय किया। प्रस्ताव के प्रबंधक के साथ परामर्श के बाद 31 .78/- प्रति इक्विटी शेयर, जो टेकओवर विनियमों के विनियम 8(2)(ई) के संदर्भ में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम नहीं होगा।

5.6. 24 मई 2023 को आयोजित बोर्ड की बैठक के नतीजे के तहत कंपनी द्वारा स्टॉक एक्सचेंज को फ्लोर प्राइस और एग्जिट प्राइस अधिसूचित किया गया था।

6. **वह अवधि जिसके लिए डीलिस्टिंग ऑफर वैध होगा**

6.1. छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता शेष सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत शेयरों को डेली स्टिंग की तारीख से दो साल तक की अवधि के लिए उसी कीमत पर स्वीकार करना जारी रखेगा जिस पर शेयरों की पहले स्वीकृति की गई थी।

6.2. अधिग्रहणकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि शेष शेयरधारकों के अधिकार सुरक्षित हैं और डीलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के विनियमन 27 के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होगा और स्टॉक एक्सचेंज उसी के अनुपालन की निगरानी करेगा।

7. **एस्क्रो खाते का विवरण और उसमें जमा राशि**

7.1. डी-लिस्टिंग विनियमों के तहत देय प्रतिफल, प्रति इक्विटी शेयर के निकास मूल्य 31.78/- (केवल भारतीय रुपये इकतीस और अठहत्तर पैसे) को ऑफर शेयरों की संख्या से गुणा करने पर, यानी 53,48,226 इक्विटी शेयर, INR है। 16,99,66,622.28/- (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानबे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस अट्ठाईस पैसे मात्र) (**"एस्क्रो राशि"**)।

7.2. डिलिस्टिंग विनियमों और छूट पत्रों के अनुसार, अधिग्रहणकर्ता, एक्सिस बैंक लिमिटेड (**"एस्क्रो बैंक"**) और प्रस्ताव के प्रबंधक ने 13 जुलाई, 2023 को एक एस्क्रो समझौता किया है, जिसके अनुसार अधिग्रहणकर्ता ने एक एस्क्रो समझौता खोला है। एस्क्रो बैंक की लखनऊ शाखा में "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड-डीलिस्टिंग एस्क्रो अकाउंट" के नाम से एस्क्रो खाता। अधिग्रहणकर्ता ने 24 जुलाई, 2023 को एस्क्रो खाते में शामिल 100% प्रतिफल, कुल मिलाकर 16,99,66,622.28/- रुपये (भारतीय रुपये सोलह करोड़ निन्यानवे लाख छियासठ हजार छह सौ बाईस और अट्ठाईस पैसे केवल) जमा कर दिया है।

8. **डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों के लिए स्वैच्छिक डीलिस्टिंग प्रक्रिया के तहत इक्विटी शेयरों की निविदा की प्रक्रियाः**

8.1 . डिमटेरियलाइज्ड फॉर्म में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारक, जो डीलिस्टिंग ऑफर में अपने इक्विटी शेयर देने के इच्छुक हैं, उन्हें ईमेल या हाथ से डिलीवरी या पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या कूरियर द्वारा (अपने जोखिम और लागत पर) निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे। लिफाफे पर "स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर" अंकित होना चाहिए ताकि रजिस्ट्रार के पास डिलिस्टिंग ऑफर पहुंच सके, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी 153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-I, नई दिल्ली - 110020, भारत; फ़ोन नंबरः 011 -26812682/83 शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024 को या उससे पहले (अर्थात् ऑफर अवधि का अंतिम दिन)ः

8.1.1 आवेदन पत्र, प्रस्ताव पत्र के साथ संलग्न, यथा लागू अपेक्षित दस्तावेजों के साथ विधिवत भरा और हस्ताक्षरित होना चाहिए; और

8.1.2 डीमैट एस्क्रो खाते में डीमैटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण का साक्ष्य देने वाले उनके डिपॉजिटरी प्रतिभागी निर्देश की एक काउंटरफ़ॉइल / फोटोकॉपी, जैसा कि यहां बताया गया हैः

i. यदि डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को ऊपर सूचीबद्ध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, लेकिन डी मैट एस्क्रो खाते में इक्विटी शेयर प्राप्त होते हैं (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है), तो अधिग्रहणकर्ता यह मान सकता है कि ऑफर ऐसे सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ii. सार्वजनिक शेयरधारकों को अपने डिमैटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को अपने संबंधित डिपॉजिटरी खाते से, ऑफ-मार्केट मोड में, डीमैट एस्क्रो खाते में स्थानांतरित करना होगा, जिसका विवरण इस प्रकार हैः

एस्क्रो खाते का नाम	स्कूटर इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग
डिपॉजिटरी	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल)
डिपॉजिटरी भागीदार का नाम	निकुंज स्टॉक ब्रोकर्स लिमिटेड
डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी :	IN302994/10111316
कंपनी का आईएसआईएन	INE959E01011

कृपया ध्यान दें कि ऐसे सभी हस्तांतरण ऑफ-मार्केट मोड में होने चाहिए। आपके डिमटेरियलाइज्ड इक्विटी शेयरों को डीमैट एस्क्रो खाते में जमा करने में विफलता के परिणामस्वरूप आपका टेंडर अमान्य हो सकता है।

iii. यदि आपका डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इक्विटी शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है, तो स्वीकृत डिलीवरी निर्देश पर्ची की फोटोकॉपी के बजाय आप इक्विटी शेयरों के हस्तांतरण की कंप्यूटर-जनित पुष्टि का प्रिंट आउट संलग्न कर सकते हैं। ध्यान दें कि स्थानांतरण ऑफ-मार्केट मोड में किया जाना चाहिए।

iv. यह सुनिश्चित करना सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी है कि उनके इक्विटी शेयर ऊपर बताए गए तरीके से डीमैट एस्क्रो खाते में जमा किए जाएं और उनका आवेदन फॉर्म ऑफर अवधि की समाप्ति से पहले डीलिस्टिंग ऑफर के लिए रजिस्ट्रार के पास पहुंच जाए।

v. इक्विटी शेयर डीमैट एस्क्रो खाते में तब तक रखे जाएंगे जब तक कि संबंधित शेयरधारकों को देय राशि का भुगतान/भुगतान नहीं कर दिया जाता है। किसी भी स्थिति में, यदि इक्विटी शेयर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, तो अस्वीकार्य इक्विटी शेयर सार्वजनिक शेयरधारकों के डिपॉजिटरी खाते में वापस जमा कर दिए जाएंगे।

vi. डिलिस्टिंग ऑफर में टेंडर डालने वाले शेयरधारकों की यह जिम्मेदारी होगी कि वे डेली स्टिंग ऑफर में टेंडर डालने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित) प्राप्त करें, यदि कोई हो, और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा।

vii. डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों के साथ हासिल किया जाना है।

viii. यदि कुछ सार्वजनिक शेयरधारकों को अपना प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होता है, या गलत हो जाता है, तो वे स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, पताः डी-153-ए, पहली मंजिल] ओखला इंडस्ट्रियल एरिया, फेज़-1, नई दिल्ली- 110020, भारत पर डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार को लिखकर एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **'स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर'** अंकित है। इसके अलावा, सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार की वेबसाइट यानी www.skylinerta.com या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक की वेबसाइट यानी www.corporateprofessionals.com से ऑफर लेटर की सॉफ्ट कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं।

ix. यदि आपको अपने इक्विटी शेयरों को टेंडर करने की प्रक्रिया के संबंध में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, तो कृपया डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार या डीलिस्टिंग ऑफर के प्रबंधक से संपर्क करें।

8.2. **भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों की प्रक्रियाः**

8.2.1. सेबी के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/144 दिनांक 31 जुलाई, 2020 के अनुसार, भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने इक्विटी शेयरों में भाग लेने/निविदा करने की अनुमति है। बाहर निकलने के अवसर का लाभ उठाने के इच्छुक और डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के इच्छुक सार्वजनिक शेयरधारकों को सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ भेजने की आवश्यकता होगीः

i. मूल शेयर प्रमाणपत्र(ओं);

ii. वैध शेयर ट्रांसफर फॉर्म को ट्रांसफरर्स द्वारा विधिवत भरा और हस्ताक्षरित किया गया है (यानी, सभी पंजीकृत शेयरधारकों द्वारा एक ही क्रम में और कंपनी के साथ पंजीकृत नमूना हस्ताक्षर के अनुसार) और ट्रांसफर को अधिकृत करने वाले उचित स्थान पर विधिवत देखा गया है। सत्यापन, जहां आवश्यक हो, (अंगूठे का निशान, हस्ताक्षर का अंतर, आदि) मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक/बैंक1 प्रबंधक द्वारा उनकी आधिकारिक मुहर के तहत किया जाना चाहिए;

iii. स्वप्रमाणित पैन कार्ड की प्रति (संयुक्त धारकों के मामले में, सभी हस्तांतरणकर्ताओं के पैन कार्ड की प्रतियां);

iv. आवेदन प्रपत्र विधिवत हस्ताक्षरित (सभी सार्वजनिक शेयरधारकों द्वारा उन मामलों में जहां ऑफर शेयर संयुक्त नामों में रखे जाते हैं) उसी क्रम में जिस क्रम में वे ऑफर शेयर रखते हैं;

v. कोई भी अन्य प्रासंगिक दस्तावेज जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉर्पोरेट प्राधिकरण (बोर्ड रिज़ॉल्यूशन / नमूना हस्ताक्षर सहित), मृत्यु प्रमाण पत्र की नोटरीकृत प्रति और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र या प्रोबेटेड वसीयत, यदि मूल शेयरधारक की मृत्यु हो गई है, आदि, जैसा लागू हो। इसके अलावा, यदि सार्वजनिक शेयरधारक का पता कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में पंजीकृत पते से बदल गया है, तो सार्वजनिक शेयरधारक को पते के प्रमाण की एक स्व-सत्यापित प्रति जमा करनी होगी, जिसमें इनमें से कोई एक शामिल हो। निम्नलिखित दस्तावेज़ः वैध आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र या पासपोर्ट;

vi. संयुक्त धारकों द्वारा डिलिस्टिंग ऑफर में शेयरों की पेशकश के लिए सहमति देने की घोषणा, यदि लागू हो, और

vii. व्यक्तिगत/गैर-व्यक्तिगत शेयरधारकों के लिए FATCA और CRS फॉर्म।

8.2.2. भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सार्वजनिक शेयरधारकों को ध्यान देना चाहिए कि इक्विटी शेयर तब तक स्वीकार नहीं किए जाएंगे जब तक कि दस्तावेजों का पूरा सेट जमा नहीं किया जाता है। अधिग्रहणकर्ता द्वारा ऑफर शेयरों की स्वीकृति दस्तावेजों के सत्यापन के अधीन होगी। डीलिस्टिंग ऑफर के रजिस्ट्रार इक्विटी शेयरों/शेयर प्रमाणपत्रों और ट्रांसफर फॉर्म पर तब तक भरोसा रखेंगे, जब तक कि अधिग्रहणकर्ता डीलिस्टिंग विनियमों के अनुसार डीलिस्टिंग ऑफर के तहत अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर लेता।

8.2.3. यदि कोई सार्वजनिक शेयरधारक प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने में विफल रहता है या उसे खो देता है, तो कंपनी या प्रस्ताव के रजिस्ट्रार को उनके पते पर लिखकर एक प्रति प्राप्त की जा सकती है, जिस पर लिफाफे पर स्पष्ट रूप से **"स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड- डीलिस्टिंग ऑफर"** लिखा होगा।

8.2.4. इस डीलिस्टिंग ऑफर के तहत हासिल किए जाने वाले इक्विटी शेयरों को सभी ग्रहणाधिकारों, शुल्कों और बाधाओं से मुक्त किया जाना है और साथ में उनसे जुड़े सभी अधिकारों को भी शामिल किया जाना है। किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार या ऋणभार के अधीन इक्विटी शेयर अस्वीकार किए जा सकते हैं।

8.2.5. सभी सार्वजनिक शेयरधारकों की जिम्मेदारी होगी कि वे प्रस्ताव में निविदा देने से पहले सभी अपेक्षित अनुमोदन (कॉर्पोरेट, वैधानिक या विनियामक अनुमोदन सहित), यदि कोई हो, प्राप्त करें और अधिग्रहणकर्ता इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा। शेयरधारक को ऐसे सभी अनुमोदनों की एक प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी चाहिए।

8.2.6. अनिवासी शेयरधारकों को उनके द्वारा प्रस्तुत शेयरों के अधिग्रहण के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त मूल अनुमति की एक प्रति भी संलग्न करनी चाहिए। यदि अपेक्षित आरबीआई अनुमति जमा नहीं की जाती है, तो अधिग्रहणकर्ता के पास यह अधिकार सुरक्षित है। प्रस्ताव में प्रस्तुत ऐसे इक्विटी शेयरों को अस्वीकार करें।

8.3.1 जब सार्वजनिक शेयरधारकों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों ("पीओए धारक") द्वारा इक्विटी शेयरों की पेशकश की जा रही है, तो आवेदन पत्र पर पीओए धारकों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। इसके अलावा, पीओए धारकों के पक्ष में निष्पादित पावर ऑफ अटॉर्नी की एक प्रति भी प्रदान की जानी चाहिए, यदि ऐसी पावर ऑफ अटॉर्नी उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ विधिवत पंजीकृत नहीं है।

8.4. सार्वजनिक शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे आवेदन पत्र के साथ, जैसा लागू हो, नीचे उल्लिखित दस्तावेज़ जमा करेंः

श्रेणी	**प्रस्तुत करने की प्रक्रिया/दस्तावेज**
व्यक्तिगत/एचयूएफ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पंजीकृत शेयरधारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2.डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंट आउट)।
निगमित	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित है जो बोर्ड संकल्प द्वारा विधिवत अधिकृत है। 2. शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए डिलीवरी अनुदेश पर्ची की विधिवत निष्पादित/स्वीकृत प्रति/कंप्यूटर से प्राप्त प्रिंट आउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।
पावर ऑफ अटॉर्नी ('पीओए) के माध्यम से प्रस्तुत की गई बोलियाँ	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और पीओए धारक द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3. यदि पीओए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत नहीं है, तो पीओए धारकों के पक्ष में विधिवत निष्पादित पीओए की प्रति।
संरक्षक	1.आवेदन पत्र विधिवत भरा हुआ और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित। 2. विधिवत निष्पादित डिलीवरी अनुदेश पर्ची की स्वीकृत प्रति / शेयरों के हस्तांतरण की पुष्टि के लिए कंप्यूटर से तैयार प्रिंटआउट (शेयरों के ऑनलाइन हस्तांतरण के मामले में)। 3.कॉर्पोरेट प्राधिकरण / बोर्ड संकल्प।

9. गतिविधि अनुसूची

विवरण	**दिन और तारीख**
प्रारंभिक सार्वजनिक घोषणा.	बुधवार, 03 मई 2023
कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा डीलिस्टिंग प्रस्ताव के अनुमोदन का प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, 24 मई 2023
कंपनी के शेयरधारकों द्वारा डीलिस्टिंग ऑफर की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।	बुधवार, जुलाई 05, 2023
बीएसई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त होने की तिथि।	सोमवार, 30 अक्टूबर, 2023
निर्दिष्ट तिथि* या उन शेयरधारकों के नाम निर्धारित करना जिन्हें प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।	गुरुवार, 07 दिसंबर 2023
समाचार पत्र विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि.	शुक्रवार, दिसंबर 08, 2023 और शनिवार, दिसंबर 09, 2023
प्रस्ताव पत्र भेजने की अंतिम तिथि।	गुरुवार 21 दिसंबर 2023
ऑफर खुलने की तिथि	मंगलवार, 26 दिसंबर 2023
ऑफर समापन तिथि	शुक्रवार, 05 अप्रैल, 2024
अधिग्रहणकर्ता द्वारा शेयरों के सत्यापन और स्वीकृति की अंतिम तिथि।	शुक्रवार, 26 अप्रैल 2024
प्रतिफल के भुगतान हेतु प्रस्तावित तिथि.	मंगलवार, 30 अप्रैल 2024

नोट : सेबी द्वारा वर्ष 2024 हेतु सार्वजनिक अवकाशों की घोषणा के अनुसार उक्त शेड्यूल बदल सकता है।

(*) निर्दिष्ट तिथि केवल सार्वजनिक शेयरधारकों के नाम का निर्धारण करने के उद्देश्य से है, जिस तिथि को प्रस्ताव पत्र भेजा जाएगा।

हालाँकि, कंपनी के सभी सार्वजनिक शेयरधारक डीलिस्टिंग ऑफर में भाग लेने के पात्र हैं।

10. **अनुपालन अधिकारी**

10.1. अनुपालन अधिकारी का विवरण इस प्रकार हैः

नामः श्री राज शेखर तिवारी पताः 3/481, प्रथम तल, विकल्प खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश- 226010 **ईमेलः csscootersindia@gmail.com फोन नंबरः 0522-3178490**

10.2. यदि सार्वजनिक शेयरधारकों के पास ऑफर शेयरों के लिए क्रेडिट या भुगतान न मिलने या डीलिस्टिंग प्रक्रिया और प्रक्रिया के संबंध में कोई प्रश्न हैं, तो वे इसे ऑफर के रजिस्ट्रार या ऑफर के प्रबंधक को संबोधित कर सकते हैं।

Corporate Professionals **कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड** **डी-28, साउथ एक्सटेंशन पार्ट-1, नई दिल्ली-11 0049, भारत** **संपर्क व्यक्तिः सुश्री अंजलि अग्रवाल; फ़ोनः 011-40622230/40622209** **ईमेलः mb@indiacp.com; वेबसाइटः www.corporateprofessionals.com** **सेबी पंजीकरण संख्याः INM000011435** **वैधता अवधिः स्थायी** **कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL2000PTC104508**	Skyline **स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** डी-153-ए, पहली मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, चरण-1, नई दिल्ली-110020, भारत संपर्क व्यक्तिः श्री पवन सिंह बिष्ट; फोनः 011- 26812682/83 एवं 40450193-97 ईमेलः admin@skylinerta.com; वेबसाइटः www.skylinerta.com सेबी पंजीकरण संख्याः INR000003241 वैधता अवधिः स्थायी कॉर्पोरेट पहचान संख्याः U74899DL1995PTC071324

दिनांकः 06.12.2023
स्थानः जगदीशपुर

अधिग्रहणकर्ता के लिए और उसकी ओर से
हस्ता./-
अमित श्रीवास्तव
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक